देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक : प्रशा./इक्कीस(2)/2023/586 दिनांक 10 JUL 2023

अधिसूचना

एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक– 227/22/सी.सी./2023/38 दिनांक 28.03.2023 के संदर्भ में यू.जी.सी. द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में औपचारिक और गैर–औपचारिक शिक्षा मोड दोनों को शामिल करते हुए सीखने के कई रास्ते उपलब्ध कराने के अनुक्रम में विद्यार्थियों को एक साथ दो अकादमिक कार्यक्रम में अध्ययन करने की सुविधा हेतु निम्नानुसार प्रावधानित किया गया है :–

1. एक छात्र फिजिकल मोड में दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे मामलों में, एक कार्यक्रम में कक्षा के समय दूसरी कक्षा के समय के साथ ओवरलैप नहीं करता हो।
2. एक छात्र दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है, एक पूर्णकालिक फिजिकल मोड में दूसरा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ODL/ऑनलाइन मोड में या एक साथ अधिकतम दो ODL/आनलाइन कार्यक्रम)।
3. ODL/आनलाइन मोड के तहत डिग्री यो डिप्लोमा कार्यक्रम केवल ऐसी उच्च शैक्षणिक संस्थान (HEIS) से किए जा सकेंगे जो यू.जी.सी./सांविधिक परिषद्/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो।
4. इन दिशा निर्देशों के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम यू.जी.सी और संबंधित सांविधिक/पेशेवर परिषदों द्वारा अधिसूचित विनियमों द्वारा शासित होंगे।
5. यह दिशा निर्देश यू.जी.सी. द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख 13 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे। इन दिशा निर्देशों की अधिसूचना जारी दिनांक से पहले किसी भी माध्यम से (पूर्णकालिका/ODL/ आनलाईन) एक साथ दो अकादमिक कार्यक्रम कर चुके विद्यार्थी पूर्वव्यापी लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
6. उपरोक्त दिशा निर्देश पी–एच.डी. के अलावा अन्य अकादमिक कार्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगी।
7. यू.जी.सी. द्वारा जारी उपरोक्त दिशा निर्देशों के आधार पर विश्वविद्यालय अपने यू.टी.डी. के विद्यार्थियों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रावधान अपने वैधानिक निकायों के माध्यम से मैकेनिज्म तैयार कर सकेंगे।

अतः विद्यार्थियों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम में अध्ययन करने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

कुलसचिव

क्रमांक : प्रशा./इक्कीस(2)/2023/586 दिनांक 10 JUL 2023

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष समस्त अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
3. समस्त अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
4. उपकुलसचिव (विकास) की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिवजी के निज सहायक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. विभागाध्यक्ष, आई.ई.टी. सेन्टर को इस निवेदन के साथ की कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।

उपकुलसचिव (प्रशा.)

जावक क्रमांक......586

023